शीर्ष प्राथमिकता / बैठक दि0 31जनवरी 2018

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग,
इलाहाबाद।

सेवामें,

1.समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2.कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः डिग्री विकास / 1638–400 / 2017–18 दिनांक–12–01–18

विषय– सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमो एवं उनमें अनुमोदित स्ववित्तपोषित शिक्षकों के सम्बन्ध में दिनांक–31.01.2018 को आहूत बैठक में प्रतिभाग करने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सूच्य है कि प्रश्नगत प्रसंग में निजी सचिव, उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–37 / सामा0 / वि0 / 2017, दिनांक–05.01.2018 द्वारा निर्देश प्राप्त हुए है कि मा0 उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश (डॉ0 दिनेश शर्मा जी) की अध्यक्षता में दिनांक–31.जनवरी, 2018 को अपरान्ह 1.00बजे से कार्यालय कक्ष संख्या–99–100 मुख्य भवन में प्रदेश के अनुदानित महाविद्यालय / विश्वविद्यालय स्ववित्तपोषित अनुमोदित शिक्षक संघ, उ0प्र0 की मांगों के संबंध में विचार करते हुए एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें विश्वविद्यालय प्रतिनिधि / कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा उच्च अधिकारियों से ससमय बैठक में प्रतिभाग करने की अपेक्षा की गयी है। अतः उक्त आहूत बैठक में निम्नलिखित विन्दुओं पर सूचनाएं, आख्या सहित आहूत बैठक में अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही की आख्या इस कार्यालय को भी दिनांक–25जनवरी 2018 तक अनिवार्य रूप से प्रेषित करने का कष्ट करें–

1.प्रदेश के 331 अशासकीय महाविद्यालयों मे से कितने महाविद्यालयों में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम संचालित हैं। (संचालित पाठ्यक्रमों का विवरण संकायवार)

2.उपरोक्त अशासकीय महाविद्यालयों में कितने कालेजों में स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम संचालित है तथा उक्त पाठ्यक्रमों में कितने शिक्षक संकायवार कब से अनुमोदित हैं ? पूर्ण विवरण।

3.पूर्व में प्रदेश सरकार द्वारा कतिपय बी0एड0 संचालित स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम अनुदान सूची पर लिया गया। उक्त बी0एड0 महाविद्यालयों का नाम एवं पूर्ण विवरण प्रस्तुत करें।

4.प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सम्बर्द्धन प्रोत्साहन योजनान्तर्गत नैक से **''ए'' ग्रेड** में मूल्यांकित महाविद्यालयों को सशर्त एक मुश्त आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया था। उक्त योजना से लाभान्वित महाविद्यालयों का नाम व पूर्ण विवरण प्रस्तुत करें।

5.स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत ऐसे महाविद्यालयों की सूची प्रस्तुत करें, जहां स्ववित्तपोषित शिक्षकों के वेतन से सी0पी0एफ0 की कटौती की जा रही है पूर्ण विवरण सहित आख्या प्रस्तुत करें।

6.स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत ऐसे महाविद्यालयों का विवरण जो स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम में अनुमोदित शिक्षकों को शुल्काय से 75से 80 प्रतिशत भाग वेतनादि में व्यय किया जा रहा है।

7.स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत ऐसे महाविद्यालयों का विवरण जो स्ववित्तपोषित एवं अनुमोदित शिक्षकों को यू0जी0सी0 के अनुसार न्यूनतम् वेतन प्रदान किया जा रहा है, की सूची उपलब्ध करायें।

8.पूर्व में शासन द्वारा समस्त राज्य विश्वविद्यालयों को यह निर्देश दिये गये हैं कि इन शिक्षकों का विवरण आधार कार्ड से लिंक कराते हुए पूर्ण बायोडाटा विश्वविद्यालय एवं विभागीय वेबसाइटों पर अपलोड कराया जाय, से सम्बन्धित पूर्ण सुस्पष्ट आख्या वांछित है।

उक्त के अतिरिक्त यह भी सूच्य है कि अनुमोदित महाविद्यालय/विश्वविद्यालय स्ववित्तपोषित शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेश के पत्र दिनांक–29.12.2017 द्वारा निम्नलिखित मांग पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत है:–

1– 331 अनुदानित/अशासकीय महाविद्यालयों में चल रहे स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों/संकायों को अनुदान में लेते हुए उसमें कुलपति द्वारा अनुमोदित कार्यरत अध्यापकों का विनियमितिकरण अविलम्ब किया जाय (जैसा कि पूर्व में वर्ष 2006 में बी0एड0 संकाय में किया गया है)

2– अनुदानित/अशासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों की प्रत्येक 05वर्ष पर संविदा विस्तरण की व्यवस्था समाप्त कर पूर्णकालिक एवं नियमित नियुक्ति प्रदान कर यू0जी0सी0वेतनमान तथा अन्य सभी सुविधाएं जो सरकार द्वारा स्थायी शिक्षकों को प्राप्त है दिया जाय (अवलोकन करें 13 दिसम्बर, 2006 एवं 30 मई 2013 का शासनादेश, सरकार के ऊपर कोई व्ययभार नहीं है)

3– 05फरवरी, 2014 को जारी शासनादेश संख्या–53/सत्तर–2–2014–16 (390)/2013 जिसमें उच्च शिक्षा गुणवत्ता सम्बर्द्धन प्रोत्साहन योजना प्रदेश के ऐडेड कालेज के स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के लिए लागू की गयी है। उसमें से ''ए'' ग्रेड की अनिवार्यता समाप्त कर प्रदेश के 331 कालेजों के स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों में कार्यरत अध्यापकों को इसका लाभ दिया जाय।

4– अनुदानित अशासकीय महाविद्यालय में अब तक चल रहे स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों को अनुदान में लेकर भविष्य में ऐसे पाठ्यक्रमो को मान्यता न दी जाय ताकि एडेड कालेजों में एक समान व्यवस्था कायम रह सके।

अतः प्रश्नगत प्रकरण में शासन से प्राप्त निर्देशानुसार प्रत्येक विन्दु पर अपनी सुस्पष्ट आख्या एवं सूचना तैयार कराकर आहूत बैठक दिनांक–31 जनवरी, 2018 को साथ में लेकर प्रतिभाग करना

सुनिश्चित करें तथा तैयार करायी गयी सूचना की एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी दिनांक–20जनवरी, 2018 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दें।

भवदीया
ह/–
डा0(प्रीति गौतम)
संयुक्त निदेशक, उ0शि0,
उ0प्र0 इलाहाबाद।

पृ0सं0 डिग्री विकास/16383–400/उसी तिथि को।

.प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव, उप मुख्यमंत्री (डा0 दिनेश शर्मा जी), उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ

2-डा0के0एस0 पाठक, प्रदेष अध्यक्ष, अनुदानित महाविद्यालय/विष्वविद्याल; स्ववित्तपोषित अनुमोदित शिक्षक संघ, उ0प्र0
पता–डा0राममनोहर लोहिया पी0जी0कालेज, भैरवतालाब, वाराणसी।

ह/–
डा0(प्रीति गौतम)
संयुक्त निदेशक, उ0शि0,
उ0प्र0 इलाहाबाद

वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय
जौनपुर – 222003

Email : connectpuregistrar@gmail.com फोन नं0. 05452.252244
www.vbspu.ac.in

पृष्ठांकन पत्रांक– 3716 /सम्बद्धता/पू0वि0वि0/2018, दिनांक–19 .01.2018

समस्त प्राचार्य/प्राचार्या सम्बद्ध वीर बहादुर सिंह, पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग, इलाहाबाद के उपर्युक्त पत्रांक–डिग्री विकास/विकास/1638–400/2017–18, दिनांक–12–01–18 में वाछित सूचना दिनांक–20.01.2018 तक Email : aksvbspu 21@gmail.com पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने कष्ट करें ताकि मा0 उप मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश (डॉ0 दिनेश शर्मा जी) की अध्यक्षता में दिनांक–31.जनवरी, 2018 को अपरान्ह 1.00बजे से कार्यालय कक्ष संख्या–99–100 मुख्य भवन में उपलब्ध कराया जा सके।

कुलसचिव

प्रतिलिपि– शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग, इलाहाबाद पत्रांक–डिग्री विकास/विकास/1638–400/2017–18, दिनांक–12–01–18 समादर में सूचनार्थ प्रेषित।

कुलसचिव